



लंदन में ईदों से बनी कई पुरानी इमारतों की खिड़कियों के नीचे “ऐन्शान्ट लाइट्स” लिखा हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्बमर्ल वे पर बने घरों की पिछली खिड़कियाँ। लंदन के अलावा डॉरसेट, केंट व इंग्लैण्ड में कई जगह ये साइन देखे जा सकते हैं। असल में “ऐन्शान्ट लाइट्स” और “राइट टु लाइट” एक ब्रिटिश पार्ट्टी लॉ है, जो गुह स्वामी को खिड़की से प्राकृतिक रोशनी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर एक घर की किसी भी खिड़की से 20 साल से निर्बाध रूप से प्राकृतिक रोशनी आ रही है तो उस व्यक्ति को ऐन्शान्ट लाइट्स का अधिकार मिल जाता है। ऐसे में समीपवर्ती भूखण्ड का स्वामी बिल्डिंग बनाकर, दीवार उठाकर या पेड़ लगाकर उस रोशनी को बाधित नहीं कर सकता। पूर्व में जिन लोगों के पास राइट टु लाइट होता था वो प्रकाश में बाधा पहुंचाने के नाम पर पड़ोसी पर क़ेस कर देते थे और जीत भी जाते थे। कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ लॉ के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को लगता था कि उसे पूर्व की तरह निर्बाध रूप से प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वह पड़ोसी पर क़ेस कर सकता था, लेकिन रोशनी की मात्रा कितनी हो यह स्पष्ट नहीं था। इससे इस क्षेत्र में कई विशेषज्ञ व विशिष्ट गवाह पैदा हो गए, जो बताते थे कि रोशनी पर्याप्त है या नहीं और कोर्ट उन पर भरोसा भी करता था। यह कानून 1663 में बना था पर इसका वर्तमान स्वरूप प्रिक्लिफ़ान एक्ट 1832 पर आधारित है।

## ‘कुछ परिवर्तन शुरुआत में बुरे लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर देश को बड़ा फायदा पहुँचाते हैं’

### प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी को इशारों-इशारों में अग्निपथ योजना का समर्थन है

नई दिल्ली, 20 जून। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों-इशारों में यह टिप्पणी अग्निपथ स्कीम को लेकर की है।

उन्होंने कहा कि, कई फैसले और सुधार तात्कालिक रूप से अग्रिय लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उसके लाभ देश अनुभव करता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे कई सेक्टरों को देश के युवाओं के लिए खोल दिया है, जिनमें दशकों तक सरकार का ही एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो बलेंद क्लास सुविधाएं बनाई हैं, उनमें अपने विज्ञान और प्रतिभा को टेस्ट करें। हम दुनिया के साथ तभी मुकाबला कर पाएंगे, जब सभी को समान अवसर दिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की

विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिन कामों को 40 साल पहले पूरा हो जाना था, वे आज तक लॉन्ग हैं और अब ये मेरे हिस्से आए हैं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और अब मैं समय गंवाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब आपसपास के इलाके रैपिड रेल से जुड़े जाएंगे तो उससे

#### ■ प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में करीब 39 हजार करोड़ रु. की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के वक्त यह बात कही।

बेंगलुरु में जाम समेत तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज का हमने जो शिलान्यास किया है, उनके निर्माण के बाद बड़ी संख्या में गाड़ियों को बेंगलुरु आना ही नहीं पड़ेगा। इससे सफर भी आसान होगा और बेंगलुरु की व्यवस्था भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में हमने रेलवे के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। अब भारतीय रेल

तेज भी है, स्वच्छ भी है और आधुनिक भी हो रही है। इसके अलावा सुरक्षित भी है और सिटिजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है, जहां इसके बारे में सोचना तक मुश्किल था। कर्नाट में भी 1,200 किलोमीटर से ज्यादा की रेल लाइन या तो नई बनी है या फिर विस्तार किया गया है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर और इसके पीछे उद्यमशीलता और इनोवेशन है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माईडसेट बदलने की सीख भी देता है, जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को भेदे चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा सेक्टर एम.एस.एम.ई. है। लेकिन हमारे यहां इसकी परिभाषा ही ऐसी रखी गई थी कि वे खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था। इसलिए वे खुद को छोटे उपक्रम की ओर ले जाते थे। ऐसे में हमने उसकी परिभाषा को ही बदल दिया ताकि वे अपना विस्तार कर सकें।

क्या नहीं कर सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर और इसके पीछे उद्यमशीलता और इनोवेशन है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माईडसेट बदलने की सीख भी देता है, जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को भेदे चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा सेक्टर एम.एस.एम.ई. है। लेकिन हमारे यहां इसकी परिभाषा ही ऐसी रखी गई थी कि वे खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था। इसलिए वे खुद को छोटे उपक्रम की ओर ले जाते थे। ऐसे में हमने उसकी परिभाषा को ही बदल दिया ताकि वे अपना विस्तार कर सकें।

## ‘जेल में कैद एक साधारण...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लाखों लोगों का है। इस प्रकार के भेदभाव के बारे में निर्णय नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी और गहराई में जायेंगे। न्यायमूर्ति रवि कुमार ने कहा, “इस महत्वपूर्ण प्रश्न को महेनजर रखते हुये, हम यह कह रहे हैं कि इस प्रश्न पर और अधिक चिन्तन-मनन की जरूरत है।” न्यायमूर्ति धूलिया ने तर्क दिया, “एक व्यक्ति निर्वाचित तो हुआ है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। यह कुछ अलोकतांत्रिक है। हमने अभी पक्का निर्णय नहीं लिया है। लेकिन यह कुछ अलोकतांत्रिक तो है।” इसलिए, शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करने की कार्यवाही तो की, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि “दलीलों में यह बात सामने आई कि धारा 62 (5) की व्याख्या को लेकर, विचारों और दृष्टिकोणों में टकराव तो है। इसलिए हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी जायेगी।”

देशमुख, जो न्यायिक हिरासत में हैं, ई.डी. द्वारा की गई जाँच में, भ्रष्टाचार के एक मामले के मुख्य आरोपी हैं। जब एक अदालत निर्देशित जाँच के बाद, जब सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई उसमें भी इन्हें मुख्य आरोपी बताया गया था। मलिक भी प्रोवैशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पी.एम. एल.ए.) के तहत एक मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें अन्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी लिप्त हैं, से कथित रूप से जुड़े होने के कारण इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ये दोनों पूर्व मंत्री इस आधार पर उच्च न्यायालय गये थे कि जूँक वे विधानसभा सदस्य हैं, इसलिए उन्हें विधान परिषद के चुनावों में वोट देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इन दोनों वादियों का कहना था कि उच्चन्यायालयों के पास ऐसे व्यापक विवेकाधीन अधिकार हैं कि वे केंद्रियों द्वारा चुनावों में वोट डालने के विषय में प्रिजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 62 (5) के तहत कानूनी प्रतिरोध को दरकिनार कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय में वादियों की तरफ से प्रस्तुत हुई वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने

दलील दी कि एम.एल.सी. के चुनावों में इन दोनों को मतदान से रोकना उन सभी मतदाताओं के अधिकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिन्होंने इन दोनों विधायकों को चुना था। उन्होंने कहा, “जनता ने मुझे (चुनकर) विधानसभा में भेजा है। मैं उनकी पसंद तथा विधानसभा के निर्णयों के मामले में उनका प्रतिनिधत्व करता हूँ। अगर मुझे वोट देने के मेरे अधिकार से वंचित किया जाता है, तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिये थे, उनका अधिकार भी छीना जा चुका होगा।”

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल (एस.जी.) तुषार मेहता ने कहा कि धारा 62 (5) के तहत, सर्म्बंधित विषय या प्रतिरोध विधायकों पर भी लागू होता है। एस.जी. ने कहा, “यह निषेध विधायकों पर भी लागू होता है। कुछ तर्काधारित प्रतिबंधों की कसौटी पर तो मौलिक अधिकार तक में कटौती की जा सकती है।” अरोड़ा ने जवाब दिया, “जेल में बंद किसी अपराधी एवं किसी विधायक के बीच फर्क होता है। अदालत को यह विभेदीकरण करना ही चाहिये तथा सबको एक ही लाठी से नहीं हँका जा सकता।”

अदालत ने कहा कि अदालत देन वक्त पर कोई राहत नहीं दे सकती, लेकिन अदालत इस कानून का परीक्षण करने, इसकी गहराई में जाने देने लिये सहमत हो गई। न्यायमूर्ति रवि कुमार ने कहा, “प्रथम दृष्टया, अगर आप पुलिस हिरासत में हैं, तो आप (वोट देने के) हकदार नहीं हैं। यहां आप न्यायिक हिरासत में हैं।” न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “आप धारा 62 के पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।” किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालत में साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिए जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

### अमेरिका में एक सार्वजनिक प्रोग्राम के दौरान फिर गोलीबारी

वाशिंगटन, 20 जून (वार्ता)। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी.सी. में हुई गोलीबारी में एक नाबालिग की मौत हो गई है और एक पुलिस अधिकारी समेत कई अन्य घायल हुए।

गोलीबारी की घटना रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम करीब छह बजे मोएचेला संस्कृत कार्यक्रम के सिलसिले में एक ‘अनपरमिटेड इवेंट’ में हुई।

डी.सी. विभाग ने ट्विटर पर कहा,मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग (एम.पी.डी.) 14वीं और यू स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू. के क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस घटना में एक एम.पी.डी. अधिकारी सहित कई लोगों को गोली मार दी गई है।

फॉक्स न्यूज़ ने एम.पी.डी. के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि मोचेला के एक कार्यक्रम में चार लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है।

## ‘कुछ देशों ने भारत के खिलाफ साइबर क्राइम आर्मी बना रखी है’

### केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, साइबर क्राइम आने वाले वक्त में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा

नई दिल्ली, 20 जून (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि, कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “आप धारा 62 के पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।” किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालत में साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिए जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

नई दिल्ली, 20 जून (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि, कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “आप धारा 62 के पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।” किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालत में साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिए जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

नई दिल्ली, 20 जून (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि, कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “आप धारा 62 के पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।” किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालत में साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिए जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

नई दिल्ली, 20 जून (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि, कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, “आप धारा 62 के पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।” किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालत में साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों की विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिए जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

## ई.डी ने मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली, 20 जून। नेशनल हेरल्ड मामले में पिछले सप्ताह लगातार तीन दिन की पूछताछ के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ई.डी. ने फिर पूछताछ की। उन्हें मंगलवार को फिर पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। राहुल गांधी सी.आर.पी.एफ. जवानों की “जेड प्लस” श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह 11 बजकर करीब पांच मिनट पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ई.डी. मुख्यालय पहुंचे थे। एक दिन पहले ही राहुल गांधी का 52वां जन्मदिन था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय के आपसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है और धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। राहुल गांधी करीब तीन बजकर 30 मिनट पर लंच के लिए

### अग्निपथ स्कीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बार हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी की गहराई में जाकर ही, असलियत मालूम पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा के विधायकों की संख्या में 57 की कमी आ गई, जबकि सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 64 सीटें ज्यादा मिलीं। इसलिये यह मान लेना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं रहा। भाजपा संगरुह, आजमगढ़ तथा रामपुर के तीन लोकसभा चुनाव हार सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिन दिनों शिखर पर थी, उस समय ये सीटें परम्परानुसार विपक्ष के पास रहीं। किन्तु इन सीटों पर जीत का अंतर ही यह तय करेगा कि अग्निपथ योजना के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता प्रभावित हुई है या नहीं।

जहाँ किसान आन्दोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था, वहीं युवा-आन्दोलन अधिकांशतः नेतृत्व विभाने है तथा इसलिये उनके साथ समझौता वार्ता का पाना भी सरकार के लिये मुश्किल है। रक्षामंत्री राजगुरु सिंह ज्यादातर अंधेरे में तीर चलाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की हैं, जैसे- भर्ती की उम्र बढ़ाना तथा अग्निवीरों को अर्द्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण देना। अग्निपथ भर्ती योजना के अगले माह शुरू होने के साथ ही यह सम्भव है कि बहुत से युवा भर्ती केन्द्रों की ओर उन्मुख हो जायेंगे। लेकिन, भाजपा को असली और बड़ा डर यह है कि युवा, जो प्रधानमंत्री के जबरदस्त एवं भावुक समर्थक हैं, भाजपा से दूर छिटक सकते हैं।

नई दिल्ली 20 जून (वार्ता)। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया

ई.डी. दफ्तर से बाहर निकले और लगभग एक घंटे के बाद फिर ई.डी. कार्यालय पहुंचे थे। पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार तीन दिन

पेश होना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी मां सोनिया गांधी के बीमार होने के कारण ई.डी. के जांच अधिकारी को पत्र लिख कर उन्हें शुकुवार (17 जून) के लिए निर्धारित

■ सोनिया गांधी को भी सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिली अब देखा है कि, मैडिकल आधार पर उन्हें पूछताछ से कुछ दिनों की छूट मिलेगी अथवा नहीं

■ पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार तीन दिन ईडी के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

■ सोमवार को भी राहुल गांधी से करीब 7 से 8घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, इस तरह उनसे कुल मिलाकर 37 से 38 घंटों की पूछताछ हो चुकी है।

ई.डी. के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान घन शोधन रोकथाम अधिनियम (पी.एम. एल.ए.) के तहत उनके बयान दर्ज किये गए थे। गौतमलब है कि, राहुल गांधी को गत शुकुवार को फिर से ई.डी. के समक्ष

पेश होना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी मां सोनिया गांधी के बीमार होने के कारण ई.डी. के जांच अधिकारी को पत्र लिख कर उन्हें शुकुवार (17 जून) के लिए निर्धारित

■ सोनिया गांधी को भी सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिली अब देखा है कि, मैडिकल आधार पर उन्हें पूछताछ से कुछ दिनों की छूट मिलेगी अथवा नहीं

■ पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार तीन दिन ईडी के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

■ सोमवार को भी राहुल गांधी से करीब 7 से 8घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, इस तरह उनसे कुल मिलाकर 37 से 38 घंटों की पूछताछ हो चुकी है।

ई.डी. के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान घन शोधन रोकथाम अधिनियम (पी.एम. एल.ए.) के तहत उनके बयान दर्ज किये गए थे। गौतमलब है कि, राहुल गांधी को गत शुकुवार को फिर से ई.डी. के समक्ष

ने सोनिया गांधी को इसी मामले में 23 जून को तलब किया है। समझा जाता है कि ‘यंग इंडियन’ की स्थापना, ‘नेशनल हेरल्ड’ के संचालन और असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज व मीडिया संस्था के भीतर घन के हस्तान्तरण से जुड़े सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं। ‘यंग इंडियन’ के शेयरहोल्डर में सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता शामिल हैं।

### पवार फारूख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बाते करते हैं कि भाजपा आर.एस.एस. गठजोड़, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा।

वर्ष 2017 में भी विपक्षी खेमा गोपाल कृष्ण गांधी को प्रत्याशी बनाना चाहता था, पर एन.डी.ए. ने रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बना दिया तो विपक्ष को पुनर्विचार करना पड़ा और कोविंद की ही तरह दलित नेता मीरा कुमार को विपक्ष ने प्रत्याशी बनाया।

## थलसेना ने अग्निपथ भर्ती की अधिसूचना जारी की

### 6 कैटिगिरी में अग्निवीरों की भर्ती की जायेगी

नई दिल्ली 20 जून (वार्ता)। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना

आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी। सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद

■ अधिसूचना के अनुसार 6 कैटिगिरी में सेना की जनरल ड्यूटी, टैक्निकल स्टाफ, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।

■ सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

जारी कर दी। यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया

आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी। सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद

■ अधिसूचना के अनुसार 6 कैटिगिरी में सेना की जनरल ड्यूटी, टैक्निकल स्टाफ, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।

■ सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

जारी कर दी। यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया

भी इसी सप्ताह अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी।

### जनरल रावत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया। माकन ने कहा कि सेना में नियमित भर्ती की जगह अग्निपथ योजना को थोपने का प्रयास देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का अपमान है, वे चाहते थे कि सेना का सबसे छोटी रैंक का विद्यार्थी, जो 17 साल में रिटायर हो जाता है, 58 साल तक सेवा में रहे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि, अग्निपथ योजना में चार साल की सेवा के बाद युवा को बहुत कम उम्र में ही रिटायर कर दिया जाएगा। “नोरैंक-नो पैशन” की यह योजना स्व.जनरल रावत की सोच के खिलाफ है। रावत ने 10 नवम्बर 2020 को एक संकुलर जारी किया था जिसमें कर्नल रैंक की सेवा निर्बुति आयु 57 वर्ष, ब्रिगेडियर व समकक्ष की 58 वर्ष और मेजर जनरल व समकक्ष की आयु 59 वर्ष करने की बात कही गई थी।

नई दिल्ली 20 जून (वार्ता)। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, बलर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया

### महात्मा गांधी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कृष्ण गांधी (77), पूर्व राजनयिक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, सोमवार को शरद पवार (81) तथा डॉ. फारूक अब्दुल्ला के बाद, ऐसे तीसरे ऐसे नेता बन गए, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर अन्य कई ऐसे लोग हैं, जो राष्ट्रीय सर्वसम्मति पैदा कर सकते हैं। पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले बुधवार को बुलाई गई 17 पार्टियों की एक मीटिंग में कह दिया था कि इसके लिये उन पर निर्भर न रहा जाये क्योंकि वे अभी और राजनैतिक पर्यायों खेला चाहते हैं। इसके बाद, ममता ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला एवं गोपाल गांधी के नामों की सलाह दी, लेकिन इनसे इशारा भी स्थिति यह है कि विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा ने यहाँ बुधवार विपक्ष की मीटिंग के लिए सर्वसम्मति हेतु कुछ और नेताओं के नाम बताये, लेकिन भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नाम उजागर नहीं किया। क्या भाजपा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, को ही दोहरायेगी?

डॉ. अब्दुल्ला ने शनिवार को इस पद की दौड़ में स्वयं को अलग कर लिया था और अब गोपाल गांधी भी इस दौड़ से अलग हो गये हैं। ज्ञातव्य है कि गोपाल गांधी पाँच साल पहले उप राष्ट्रपति पद की दौड़ में एम. वेंकय्या नायडू से पराजित हो गये थे। इस समय चल रहे निर्वाचन 29 जून तक चलेंगे तथा 2 जुलाई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है।

कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय और केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शाह ने देश में डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षित देश की कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए इसके बारे में जनजागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि जागरूकता के बिना इसका उपयोग नहीं हो सकता।

### ‘कोविड-19 की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) का अधिग्रहण कर लिया और यहां की भयभीत जनता को वृहद रूस शामिल कर लिया और इस पर किसी ने भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया तो क्या होगा। क्या इससे शांति स्थापित होगी?

—भ्रमराशः